रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 1987/चैत्र 19, 1909
No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 1987/CHAITRA 19, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1987

अधिसूचना संख्या 4/87

स. आई एफ.सी./वि. एड सी./विशेष महासभा/87-91500.—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अधिसूचना संख्या 2/87 दिनांक 25 मार्च, 1987 के पैरा 3 के अनुक्रम में अधिसूचित किया जाता है कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित निगम के शेयरधारियों, अर्थात् अनुसूचित बैंकों की विशेष

महासभा सोमवार, 11 मई, 1987 को सांय 4.00 बजे (मानक समय) निगम के प्रधान कार्यालय, बैंक आफ बड़ौदा भवन, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्य का संव्यवहार करने के लिए आयोजित की जाएगी –

"औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप–धारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित शेयरधारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित निदेशक, श्री जे. एस. वार्ष्णेय के स्थान पर जो निवृत्त हो गए हैं परन्तु औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अधीन पुनर्चुनाव के लिए पात्र हैं, के स्थान पर एक निदेशक का चुनाव करना।"

[औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 11 की उप–धारा (2) के संशोधन के अनुरूप निर्वाचित निदेशक की पदावधि 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष हो जाने पर श्री जे. एस. वार्ष्णेय 2 फरवरी, 1987, औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रवृत्त होने की तारीख, से निवृत्त हो गए हैं। लेकिन, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 11 की उपधारा (2) के परन्तुक की शर्तों के अधीन श्री जे. एस. वार्ष्णेय उनके उत्तरवर्ती का चुनाव होने तक पदासीन रहेंगे।]

एस. के. ऋषि, कार्यपालक निदेशक

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 8th April, 1987

NOTIFICATION NO. 4|87

No. IFC|B&C|Spl. GM|87-91500.—In continuation of para 3 of Industrial Finance Corporation of India's (IFCI) Notification No. 2|87 dated the 25th March, 1987, NOTICE is hereby given that a Special General Meeting of the shareholders of the Corporation, referred to in clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the IFC Act, 1948, viz. Scheduled Banks, will be held on Monday, the 11th May, 1987 at 4.00 P.M. (Standard Time) in the Head Office of the Corporation BANK OF BARODA BUILDING, (8th FLOOR) 16-SANSAD MARG, NEW DELHI-110001 to transact the following business :—

"To elect one Director in place of Shri J. S. Varshneya, Director elected to represent shareholders referred to in clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the IFC Act, 1948, who retires, but is eligible for re-election, under Section 11 of the IFC Act, 1948".

[Pursuant to amendment to sub-section (2) of Section 11 of the IFC Act, 1948 in regard to reduction in the term of elected Directors from 4 years to 3 years, Shri J. S. Varshneya is deemed to have retired w.e.f. the 2nd February, 1987, the date from which the Industrial Finance Corporation (Amendment) Act, 1986, has come into force. In terms of the second proviso to sub-section (2) of Section 11 of IFC Act, 1948, Shri J. S. Varshneya, would however, continue in office till his successor is elected.]

S. K. RISHI, Executive Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987